भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1871

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

सामाजिक अत्याचारों के मामले

1871. श्री के० सोमप्रसाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सामाजिक अत्याचारों के कितने मामले जानकारी में आए हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हैं; और

(ग) ऐसे अत्याचारों के कितने मामले दर्ज किए गए?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) सामाजिक अत्याचारों के संबंध में केन्द्रीकृत रूप से आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013, 2014 और 2015 के दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के प्रति अत्याचार के कुल क्रमश: 39346, 40300 और 38564 मामलों तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों के प्रति अत्याचार के कुल 6768, 6826 और 6275 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। अपराध शीर्ष-वार ऐसे ब्यौरे अनुलग्नक-। में संलग्न हैं। वर्ष 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और इसलिए, अपराध को रोकना, उसका पता लगाना, दर्ज करना, जांच और अभियोजन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

*****

अनुलग्नक-I के पृष्ठ 1 का 1

राज्य सभा अता० प्र० सं० 1871

वर्ष 2013-2015 के दौरान अनुसूचित जाति(एससी) से संबंधित लोगों के प्रति अपराध (अत्याचार सहित) के तहत सूचित मामले

क्रसं.	अपराध शीर्ष	2013	2014	2015*
1.1	हत्या	676	704	707
1.2	हत्या का प्रयास	-	420	547
1.3	बलात्कार	2073	2233	2326
1.4	बलात्कार का प्रयास	-	87	74
1.5	महिला के सम्मान का अपमान करने के आशय से उस पर हमला	-	2346	2800
1.6	महिला के सम्मान का अपमान	-	56	58
1.7	अपहरण एवं व्यपहरण	628	755	687
1.8	डकैती	45	32	34
1.9	लूटपाट	62	67	43
1.10	आगजनी	189	179	179
1.11	गंभीर चोट	4901	2155	1007
1.12	दंगा	-	838	1465
1.13	अन्य आईपीसी अपराध	16797	21541	22632
1.14	केवल एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	13975	8887	6005
	अनुसूचित जातियों के प्रति कुल अत्याचार (एससी)	39346	40300	38564

स्रोत:भारत में अपराध

नोट '-'आंकड़े अलग से एकत्र नहीं किए गए।

* वर्ष 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: अत्याचारों में हत्या, हत्या करने का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार करने का प्रयास, महिला के सम्मान का अपमान, अपहरण एवं व्यपहरण, डकैती, लूटपाट, आगजानी, गंभीर चोट, दंगा, अन्य आईपीसी अपराध और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।

वर्ष 2013-2015 के दौरान अनुसूचित जनजाति(एसटी) से संबंधित लोगों के प्रति अपराध (अत्याचार सहित) के तहत सूचित मामले

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	2013	2014	2015*
1.1	हत्या	122	157	144
1.2	हत्या का प्रयास	-	78	88
1.3	बलात्कार	847	925	952
1.4	बलात्कार का प्रयास	-	24	15
1.5	महिला का सम्मान का अपमान करने के आशय से उस पर हमला	-	863	818
1.6	महिला के सम्मान का अपमान	-	16	12
1.7	अपहरण एवं व्यपहरण	130	166	124
1.8	डकैती	8	2	4
1.9	लूटपाट	7	12	9
1.10	आगजनी	33	28	25
1.11	गंभीर चोट	930	287	145
1.12	दंगा	-	101	133
1.13	अन्य आईपीसी अपराध	3301	3045	2974
1.14	केवल एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम	1390	1122	832
	अनुसूचित जातियों के प्रति कुल अत्याचार (एससी)	6768	6826	6275

स्रोत: भारत में अपराध

नोट '-'आंकड़े अलग से एकत्र नहीं किए गए।

* वर्ष 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: अत्याचारों में हत्या, हत्या करने का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार करने का प्रयास, महिला के सम्मान का अपमान, अपहरण एवं व्यपहरण, डकैती, लूटपाट, आगजानी, गंभीर चोट, दंगा, अन्य आईपीसी अपराध और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।

*****